


14/7/20 आप पत्रावली रल्लव करने पर घेय हुई। वकील
 सामल ने मूल दावे की विशा किया जा
 चुका है। इस कारण न. I डा. पत्र की शर्त
 चलाने का कोई इतौयत्व नहीं है। अब
 डा. पत्र न. I इसी स्टेज पर खारीण किया
 जाता है। पत्रावली केवल थूना छोडा
 वाड एक भील दफतरं दाखिल की जाते।


 उप जिला कलक्टर एवं
 उप जिला मजिस्ट्रेट
 बामनवास (जिला-स०मा०)